FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रामप्रताप पुत्र टीकूराम उम्र 47 वर्ष निवासी खरजाणी बास जसरासर तहसील नोखा पुलिस थाना जसरासर जिला बीकानेर		1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, नागौर 2. जिला रसद अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** ......56...... / 2021

G.CMS No- 2021/168

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
08.11.21	वकील प्रार्थी ने प्रार्थी रामप्रताप की ओर से पुलिस थाना श्रीबालाजी की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–144/2021 अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आर.जे. 13/जी.ए. 3807 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन की नकल अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय नागौर को दिलाई गई। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को दिनांक 15.11.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावे। पत्रावली दिनांक 15.11.2021 को पेश हो। **जिला कलक्टर,नागौर**	
15-11-21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया अभियोजन अधिकारी रसद विभाग उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आर.जे.13/जी.ए.3807 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। प्रार्थी के उक्त वाहन से कथित कोई माल बरामद नहीं हुआ था, इस वाहन को गलत रूप से आलिप्त किया गया है। जिस बाबत पुलिस थाना श्रीबालाजी में सी.आर.नं. 144/2021 अपराध अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होकर अनुसंधान अभी लम्बित है। तत्पश्चात नतीजा संबंधित न्यायालय में पेश होगा। जिस कारण अभी किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी का वाहन तथाकथित प्रकरण में लिप्त हो। प्रकरण की ट्रायल में लम्बा समय लगने की संभावना है, उक्त वाहन काफी समय से इस प्रकरण में जब्त है। प्रार्थी को उक्त वाहन की स[illegible] सकती है। प्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन [illegible] वाहन है। प्रकरण हाजा में उक्त वाहन की पुलिस वालो को कोई [illegible] नहीं रही है। उक्त वाहन रख रखाव के अभाव में पड़े [illegible] खराब होने की पूरी संभावना है। दौराने मुकदमा प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पा[illegible] करेगा, तलब करने पर लाकर पेश कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी, बेचान, हस्तान्तरण आदि नहीं करेगा, का कथन करते हुए जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15-11-21 (लगातार)		

अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आर.जे.13 जी.ए.3807 की पुलिस को अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। प्रवर्तन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्त शुदा उक्त वाहन व चार लोहे के ड्रम मय 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए सपठित MS & HSD आर्डर 2005 के तहत मामला न्यायालय हाजा में रसद विभाग की ओर से प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके रसद मामला संख्या 114/2021 राज0 सरकार बनाम ईश्वरचंद पुत्र दामाराम वगैरह है तथा उक्त प्रकरण अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 25.11.2021 को नियत है। उक्त प्रकरण में विभाग को जॉच आदि हेतु अब उक्त जब्तशुदा वाहन का आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत पुलिस केस डायरी प्रकरण से संबंधित न्यायालय हाजा में विचाराधीन रसद मामला संख्या 114/2021 की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना की रिपोर्ट कमांक–3170 दिनांक 15.11.21 के अनुसार उक्त जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त वाहन एवं चार लोहे के ड्रम मय 580 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत मामला न्यायालय हाजा में रसद विभाग की ओर से प्रस्तुत किया हुआ है, जो अप्रार्थीगण की तलबी में नियत है। प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग द्वारा जॉच आदि हेतु अब उक्त जब्तशुदा वाहन की आवश्यक नहीं होना जाहिर किया है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी रामप्रताप पुत्र टीकूराम उम्र 47 वर्ष निवासी खरजाणी बास जसरासर तहसील नोखा पुलिस थाना जसरासर जिला बीकानेर को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में 3,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये तीन लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, जिला रसद अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी को पुलिस थाना श्रीबालाजी के प्रकरण संख्या 144/2021 में जब्तशुदा वाहन पिकअप नम्बर आर.जे.13 जी.ए. 3807 प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी करें।–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

जिला रसद अधिकारी नागौर को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीबालाजी द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद [illegible] नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना श्रीबालाज[illegible] मूल [illegible] डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक [illegible] फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो तथा यह पत्रावली [illegible] हाजा में विचाराधीन रसद मामला संख्या 114/2021 राज0 सरकार बनाम ईश्वरचंद पुत्र दामाराम वगैरह के साथ नत्थी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:47:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर